।। जय श्री माताजी ।।

सहज-विवाह

सिद्धान्त एवं शिष्टाचार

सितम्बर 2018

विवाह एक पावन अवसर है, मनुष्य के जीवन में सबसे शुभ एवं मंगलमय अवसर है। मंगलमय होने के कारण ही यह आनन्द प्रदान करता है और चैतन्य लहरियां आशीर्वाद स्वरूप विश्व में बहती हैं। विवाह आनन्द देने के लिये है, हंसी, खुशी और परमानन्द देने के लिये है, जिन्हें आप दो मनुष्यों के साथ हमारे संयोजनों के माध्यम से प्राप्त करने के बारे में सोच सकते हैं। आप विवाह की व्यवस्था में गौरव प्रदान करने के लिये हैं क्योंकि यह सर्वशक्तिमान परमात्मा द्वारा स्थापित प्रणाली है। यह एक गलत धारणा है, कि यह मनुष्यों द्वारा लागू की गई व्यवस्था है। इसकी शुचिता एवं पवित्रता को अक्षुण बनाये रखना होगा।

श्री माताजी निर्मला देवी, 1981 ''विवाह आनन्द प्रदान करने के लिये होता है'' यू0 के0।

पृष्ठभूमि

सहजयोग के शुरूआती दिनों में श्री माताजी द्वारा सहज विवाह स्थापित किया गया था, जो पवित्र समारोह दिव्य सिद्धान्तों के आधार पर आध्यात्मिक और भौतिक आशीर्वाद प्राप्त करने का एक माध्यम है। सहजयोग, विवाहित जोड़ों के पास, हमारे दिव्य ध्यान से आशीर्वाद प्राप्त करने का अनूठा अवसर है। इस प्रक्रिया में माँ आदि शक्ति सहज विवाह द्वारा लोगों के आध्यात्मिक उत्थान को सहज बनाती हैं। सहज विवाह, व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान एवं विश्व सहज सामूहिकता का उत्थान करता है और चैतन्य तरंगों द्वारा परिवार, समाज और राष्ट्रों के अन्तर्गत एक पवित्र सम्बन्ध स्थापित करता है। श्री माताजी ने उदारतापूर्वक अपने बच्चों को इस संस्था द्वारा आशीर्वाद प्रदान किया है और एक मौका दिया है, कि वे सुखी परिवार के साथ साक्षात्कारी आत्माओं को पृथ्वी पर आने का सुअवसर प्रदान करें। इन प्रपत्रों में सहज विवाह विवाह सम्बन्धी सूचनायें दी गई हैं, जो प्रत्येक आवेदक को जानना और समझना जरूरी है। कृपया उन्हें ध्यान से पढ़ने के पश्चात् आवेदन करें। इन सूचनाओं में, विवाह जोड़े बनने, उद्घोषणा एवं विवाह के सम्पन्न होने तक के विवरण हैं। आवेदन पत्र पर आपके हस्ताक्षर के बाद यह समझा जाता है कि आपको विवाह सम्बन्धी सभी शर्तों और विधियों की पूर्ण जानकारी हो गई है और आप उन शर्तों और विधियों को स्वीकार करते हैं। यदि कोई विशिष्ट व्यक्तिगत मुद्दा हो जिनके लिये ध्यान देने की आवश्यकता हो, तो कृपया विवाह समिति के सदस्यगण इसे आवेदन पत्र पर ही अंकित करें।

सहज विवाह के सिद्धान्त

सहज विवाह के सिद्धान्त श्री माताजी की शिक्षाओं पर आधारित हैं तथा योगी एवं योगिनियों को मौखिक रूप से दी गई जानकारी है, जिन्होंने इस शुभ अवसर पर माँ के साथ काम किया है। श्री माताजी की वार्ता के कुछ अंश और सन्दर्भ इसमें शामिल किये गये हैं।

सहज सिद्धान्तों में प्रमुख है सामूहिकता में आपस में शुद्ध और पवित्र सम्बन्ध स्थापित करना। इसका अर्थ है कि प्रत्येक योगी और योगिनी को भाई—बहन के पवित्र रिश्ते से बंधा होना है। शुद्धता/पावनता ही मूलाधार का विशिष्ट गुण है जो हमारी कुण्डलिनी को धारण कर उत्थान प्रदान करता है। सामूहिक उत्थान के लिए पवित्रता मूल कारक है, जिसके बिना सामूहिकता उत्थित नहीं हो सकती। श्री माताजी ने सदैव सहजयोगियों को चेताया है कि सहज सामूहिकता के भीतर जीवन साथी की तलाश न करें, चाहे वह स्थानीय हो या अन्तर्राष्ट्रीय, क्योंकि यह सहज सिद्धान्तों के विरोध में है। कई बार ऐसी स्थितियाँ बनी हैं जहाँ पर किसी समूह में ऐसी जोड़ियाँ बनी हैं, ऐसे हालत में उन्हें कुछ

समय के लिये सहज सामूहिकता से बाहर होना पड़ा है। विवाह समिति उन विवाहों को विश्व सामूहिकता के समक्ष स्वीकृति नहीं देगी, जिन्होंने स्वयं सहज परिवार के भीतर जोड़ा बनाया हो।

यदि जोड़ियाँ सहज में आने के पूर्व की हों तो वे पुनर्विवाह की प्रक्रिया अपनायेंगी।

सहज विवाह में योगी–योगिनियाँ अपने जोड़े के मिलान हेतु पूर्व में श्री माताजी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। श्री माताजी ने कई वर्षों तक हजारों जोड़े बनाये और अपनी ममता लुटाई और जोड़ों को आध्यात्मिक, भावनात्मक और आर्थिक सम्बल प्रदान किया। जिन सहज योगी/योगिनियों को सहज विवाह करना है, उन्हें पूर्ण रूप से श्री माताजी के प्रति समर्पित होना होगा – साक्षात् श्री आदिशक्ति, सर्व–कर्ता। यह पावन कार्य सहयोगियों के एक समूह द्वारा चैतन्य के आधार पर सम्पादित किया जाता है जिन्होंने स्वयं को श्री माताजी के प्रति पूर्ण समर्पित किया होता है।

श्री माताजी ने समाज के उन सभी कुरीतियों, (जातिप्रथा, दहेज, धर्म) रिवाजों और रस्मों को तोड़कर ऐसी कुप्रथाओं को समाप्त किया। कोई भी विवाह इन कुरीतियों पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह श्री माताजी के सिद्धान्तों के विपरीत है। उन्होंने ऐसी वैवाहिक परम्परा का सूत्रपात किया, जिससे भिन्न–भिन्न संस्कृति, सभ्यता एवं राष्ट्र एक दूसरे के करीब आयें और द्वेष, झगड़ा, कलह और लोभ नष्ट हो और वैश्विक भाईचारे का उदय हो। इसी कारण सहजयोग में, सहज विवाह में, भिन्न संस्कृति और धर्मों का भेद–भाव नहीं किया जाता है। योगी एवं योगिनियों को विवाह के समय, भिन्न जाति, धर्म और राष्ट्र के प्रति कोई दुराग्रह या भेदभाव नहीं रखना चाहिये।

सहज विवाह क्या है ?

सहज विवाह आयोजित विवाह के अन्तर्गत आता है जिसमें चैतन्य के आधार पर जोड़ियाँ मिलाई जाती हैं। पारम्परिक विवाह में आम तौर पर माता–पिता और अग्रज अपने पुत्र और पुत्रियों के लिये जोड़ा तय करते हैं। सहजयोग में योगियों एवं योगिनियों द्वारा चैतन्य के आधार पर आवेदकों की जोड़ी बनाई जाती है। इस कार्य में श्री माताजी द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाता है।

चैतन्य के आधार पर बनी जोड़ियों की उद्घोषणा विश्व–सामूहिकता की उपस्थिति में की जाती है तथा जोड़ियों को एक दूसरे से मिलने का अवसर दिया जाता है और विवाह हेतु आपसी सहमति से लिये गये निर्णय को वरीयता दी जाती है। आपसी बात–चीत के दौरान उद्घोषित जोड़े अपने सहज के जीवन के अतिरिक्त अपने परिवार, व्यक्तिगत रूचि–अरूचि, स्वास्थ्य, उत्तरदायित्व एवं पालन–पोषण आदि के बारे में भी जरूर चर्चा करेंगे जिन बातों पर उनका भविष्य निर्भर करता है। इसके बाद ही वे किसी निर्णय पर पहुँचें। कृपया इस बात का ध्यान रखें, कि सहज विवाह आपके देश में वैध/कानूनी नहीं भी माना जा सकता होगा, किन्तु यह याद रहे कि यह पवित्र बन्धन श्री आदिशक्ति के द्वारा, उनके आशीर्वाद से बना है। सभी जोड़ियों को यह समझना चाहिए कि विश्व और सामाजिक नियम कानून से उपर उठकर इस आध्यात्मिक बन्धन को सम्मान के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए।

जो उद्घोषित जोड़ियाँ वर्तमान में विवाह करने में किसी भी विशेष कारण से असमर्थ हैं, ऐसे आवेदक अगले विवाहोत्सव के लिये आवेदन दे सकते हैं, परन्तु इस बीच के दौरान उन दोनों को सभी सहज मर्यादाओं का अनुपालन करना होगा, न कि इस अवधि का प्रयोग जोड़ियों को आजमाने के लिये किया जाये। पूर्व में श्री माताजी ने मर्यादा अनुपालन के स्पष्ट निर्देशों के साथ जोड़ियों को अनुमति प्रदान की थी। एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि ऐसे जोड़ों को विवाह समिति अपने कार्य क्षेत्र से बाहर रखती है। यदि पहले से विवाहित जोड़े श्री माताजी से आशीर्वादित होना चाहते हैं, तो उन्हें सहजयोग के नियमानुसार पुनर्विवाह हेतु आवेदन देना होगा। वर्तमान में, अब तक, विवाह के यही तरीके अपनाये गये हैं, जो श्री माताजी द्वारा निर्देशित हैं।

प्रायः ऐसा देखा गया है कि योगिनियों की अपेक्षा योगियों के आवेदनों की संख्या काफी कम होती है, ऐसे

में इस बात की कोई गारन्टी (निश्चितता) नहीं होती है, कि प्रत्येक आवेदक का जोड़ा बन ही जायेगा। दूसरी बात यह भी है कि चैतन्य के आधार पर ही जोड़ा बनता है अन्यथा नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि योगियों की संख्या कम होने के बाद भी चैतन्य न आने के कारण जोड़ी नहीं बन पाती है।

इस सन्दर्भ में यदि कोई सहजयोगी सहज से बाहर अपनी जोड़ी बनाता है और वह जोड़ा सहजयोग अपना लेता है, तो ऐसे जोड़ों का पुनर्विवाह सहजविवाहोत्सव के अन्तर्गत आशीर्वादित हो जायेगा।

जो भी सहजयोगी/योगिनी श्री माताजी के निराकार रूप से विवाह के बन्धन हेतु आशीर्वादित होना चाहते हैं और जिनमें श्री माताजी के प्रति पूर्ण समर्पण है, वे अपना नाम सहज–विवाह के लिये दे सकते हैं। बहुसंस्कृति से आये योगी/योगिनी को खुले दिमाग से समर्पण के साथ मानसिक रूप से किसी भी अप्रत्याशित जीवन शैली के लिये तैयार रहना चाहिये। सभी आवेदकों को विवाह सम्बन्धी प्रण/प्रतिज्ञा को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिये, जिसे विवाह के समय पढ़ा जाता है, जो पारस्परिक सम्बन्धों के संकल्प की नींव है और सहजयोग की भी आधारशिला है, यदि इन प्रतिज्ञाओं को स्वीकारने में उन्हें असुविधा है, तो ऐसी हालत में सहजविवाह हेतु उन्हें अपनी सहमति नहीं देनी चाहिये।

किसी भी जोड़े को सहज विवाह को सतही और हल्के तौर पर नहीं लेना चाहिये, क्योंकि यह परिवार और समाज को आशीर्वादित करता है। यह परिवार को सुकून और प्रेम की शक्ति से आशीर्वादित करता है तथा एक संतुलित जीवन जीने का सुअवसर प्रदान करता है। यहाँ उन्हें अपनी आध्यात्मिक क्षमता में पूर्ण उत्थान प्राप्त करने का अवसर भी मिलता है।

विवाह समिति

पूर्व में श्री माताजी अपने साकार रूप में योगी/योगिनियों के सहयोग से, व्यक्तिगत रूचि के साथ जोड़े मिलाने का काम करती थीं। चैतन्य, जो कि सबसे सबल साधन है, उसके अतिरिक्त भी कुछ खास बातों को श्री माताजी ने जोड़ा बनाते समय ध्यान रखने को कहा है। श्री माताजी अपने निराकार रूप में जोड़ों को हमारी प्रार्थना पर आशीर्वादित करती हैं। इसी कारण 15 सितम्बर 2013 में सहजयोग सेन्ट्रल कमिटी ऑफ इण्डिया की गोष्ठी में यह तय हुआ था कि एक भारतीय सहज विवाह समिति का गठन किया जाये जो सहज विवाह के सभी आयामों/पहलुओं को दृष्टिकोण में रखते हुये कार्य करे। उस गोष्ठी में यह भी तय हुआ था कि सहज–विवाह, गणपतिपूले में हीं अन्तर्राष्ट्रीय क्रिसमस पूजा–सेमिनार के दौरान हर साल दिसम्बर में सम्पन्न होगा जैसा कि श्री माताजी के साकार रूप में वर्षों तक होता रहा है। परम पूजनीय श्री माताजी निर्मला देवी के आशीर्वाद से **भारतीय सहज विवाह समिति** का गठन हुआ जो अन्तर्राष्ट्रीय क्रिसमस पूजा/सेमिनार में होने वाले सहज विवाह सम्पन्न कराने का कार्य करे।

श्री माताजी के मार्गदर्शन में उनके बताये सिद्धान्तों पर कार्य करते हुये सहज विवाह समिति पारदर्शिता एवं गोपनीयता के साथ कार्य करेगी। सूचनाओं की प्रकृति व्यक्तिगत होने के कारण मात्र विवाह समिति के सदस्य ही आवेदन पत्रों को अवलोकित कर सकते हैं। समिति के सदस्यगण आवेदन पत्रों की सूचनाओं/विवरणों की गोपनीयता बनाये रखेंगे। आवेदकों की निजता, सम्मान एवं गरिमा को बनाये रखने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है।

सहज विवाह समिति के सदस्य व्यक्तिगत स्वार्थ से उपर उठकर तटस्थ भाव से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। किसी सदस्य के नजदीकी रिश्तेदार, यदि आवेदक हों, तो ऐसी परिस्थिति में वे सदस्य अपना सहयोग एवं मार्गदर्शन दे सकते हैं किन्तु वे जोड़ी बनाने के कार्य में भाग नहीं ले सकते।

भारतीय सहज विवाह समिति द्वारा प्रतिपादित कुछ गतिविधियाँ निम्नवत् हैं–

1. सभी गतिविधियों के लिये श्री माताजी द्वारा बताये गये संकेत एवं मार्गदर्शन का सहज समिति के सदस्यगण, अक्षरशः/हूबहू अनुपालन करेंगे।
2. सहज विवाह सम्बन्धी सभी सूचनाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सहज विवाह समिति की होगी।

3. विवाह समारोह से पूर्व, समय से नवीनीकृत/अद्यतन आवेदन पत्र एवं दिशा निर्देश को उपलब्ध कराना।

4. आवेदकों को सहज विवाह के महत्व एवं ध्येय/उद्देश्य को बताना, उन्हें दिशा–निर्देश देना एवं अन्य जिज्ञासाओं का समाधान करना।

5. सम्पूर्ण विश्व से आवेदन पत्रों को जमा करना एवं संकलित कर उनकी सूची बनाना।

6. सभी आवेदकों द्वारा दिये गये विवरण को जाँचना/परखना एवं सत्यापित करना, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि उन्होंने सहज में कम से कम दो वर्ष बिताये हों।

7. जोड़ी बनाने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से चैतन्य पर ही आधारित है, यह तथ्य स्थापित करना।

8. विवाह समिति को समन्वयकों, विवाह संस्कार के आयोजकों एवं जोड़ियों को समय पर सूचित करना चाहिए।

9. विवाह सम्बन्धी सभी कार्यों का समन्वय एवं प्रबन्धन करना।

10. विवाहोपरान्त जोड़ियों/बच्चों के उत्थान पर दृष्टि रखना।

11. राष्ट्र/राज्य/क्षेत्र/नगर से संवाद कर जोड़ियों से सम्बन्धित विशेष शंका, दुर्व्यवहार आदि का निवारण करना।

वर्तमान भारतीय सहज विवाह समिति की सूची अनुबन्ध IV में दी गई है।

अनुबन्ध IV भारतीय सहज विवाह समिति

नाम	स्थान
1. श्रीमती (डॉ0) दीप्ति सिंह	उत्तर प्रदेश
2. श्री जय सिंह पटेल	मुम्बई
3. श्री संग्राम परब	मुम्बई
4. श्री श्रीरंग जाधव	नवीं मुम्बई
5. श्री आर0 डी0 भारद्वाज	उत्तर प्रदेश
6. श्री एस0 सी0 राय	नई दिल्ली
7. श्री अमोद्य सासे	मुम्बई
8. श्रीमती (डॉ0) स्मिता बुग्दे	मुम्बई
9. श्रीमती दीप्ति ठक्कर	मुम्बई

समय–समय पर उपरोक्त सूची की समीक्षा होती रहेगी। वकील मिलिंद सड़साले, कोल्हापुर, सहज विवाह के कानूनी पक्ष को देखेंगे।

सहज विवाह के लिये आवेदन की प्रक्रिया

किसी भी वैवाहिक समारोह की तिथि एवं प्रक्रिया की अधिसूचना सारे विश्व एवं देश के सभी संयोजकों को प्रेषित की जाती है। राष्ट्रीय संयोजकों को विवाह सम्बन्धी पूर्ण जानकारी एवं अद्यतन/नवीनतम आवेदनपत्र उपलब्ध कराये जाते हैं, जिन्हें वे स्थानीय संयोजकों को उपलब्ध कराते हैं। स्थानीय संयोजकों/नेतृत्व की यह जिम्मेदारी है, कि सामूहिकता को ससमय जानकारी उपलब्ध करायें।

सभी आवेदको को अपने राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्र/स्थानीय समन्वयक/संयोजक या राष्ट्रीय विवाह समिति के नामित सदस्यों से अद्यतन/नवीनीकृत आवेदन पत्र हेतु अनुरोध कर, उचित माध्यम द्वारा सभी विवरण एवं सूचनायें देनी चाहिये। यदि स्थानीय संयोजकों को प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी नहीं है, तो उन्हें राष्ट्रीय संयोजकों/समितियों से सम्पर्क करना चाहिये। किसी नये सहज केन्द्र पर स्थानान्तरित सहजयोगियों को अपने पूर्व के केन्द्र समन्वयक से आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कराना चाहिये।

आवेदकों को विवाह हेतु आवेदन पत्रों में अपने जीवन के समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं की सम्पूर्ण जानकारी सच्चाई के साथ भरनी चाहिए अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत हो सकता है। वर्तमान समारोह से सम्बद्ध आवेदन पत्रों का ही प्रयोग किया जाना चाहिये। पुराने फार्म पर दिये गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक को, आवेदन पत्र में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर आवश्यक सूचनाओं के साथ ईमानदारी से देना चाहिए। यदि किसी स्तर पर यह पाया गया कि आवेदक ने जानबूझ कर गलत सूचना दी है, तो उसे कुछ समय के लिये, सहज विवाह हेतु आवेदन करने से रोक दिया जायेगा।

आवेदक के द्वारा अतिरिक्त जानकारी देने की स्थिति में उसे मूल आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाये। उसे डिजिटली या हाथ से भरा जा सकता है। उसे स्थानीय/राष्ट्रीय संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित/सत्यापित कर विवाह–समिति को भेजा जाना चाहिये। राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्र या केन्द्र समन्वयकों द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

<u>कुछ विशेष बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे–</u>

1. जन्म तिथि/आयु, लम्बाई, वजन, शिक्षा, वार्षिक आय, पूर्व सम्बन्ध इत्यादि। श्री माताजी के अनुसार ये ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जिनका जोड़ी बनाने में सहयोग मिलता है।
2. केन्द्र एवं नगर की सामूहिकता के मध्य श्री माताजी ने जोड़े बनाने को मना किया है क्योंकि उनमें सहज परिवार होने का पवित्र भाव रहता है।
3. सम्पर्क हेतु दिया गया नं0 स्पष्ट एवं सही होना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जायेगा।
4. संलग्न फोटो रंगीन असंशोधित (अनएडिटेड) एवं अद्यतन/नवीनतम होना चाहिए।
5. कोई रोग होने पर उसकी पूर्व सूचना होनी चाहिये, क्योंकि कमिटी उसके आगे की तहकीकात जोड़ा मिलाने से पूर्व कर सके।
6. पूर्व के आवेदित फार्म की संख्या एवं बनी जोड़ियों की संख्या को ध्यान में रखना चाहिये क्योंकि योगी/योगिनी के कई बार आवेदन करने के पश्चात् भी जोड़े नहीं बन पाते।
7. जो योगी/योगिनी कानूनी रूप से विवाह के लिये स्वतन्त्र नहीं हैं, उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. जो योगी/योगिनी गणपतिपूले में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को सहमत होंगे उनका आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर प्रथम चरण में मिलाया जायेगा ताकि वैवाहिक कार्यक्रम आगे बढ़ सके।
9. काफी संख्या में बचे हुये योगी/योगिनियों के आवेदन पत्रों को द्वितीय चरण में मिलाया जाता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे गणपतिपुले आ रहे हैं या नहीं। आवेदकों को गणपतिपूले न जाने की स्थिति में, विवाह समिति को पूर्व सूचना अवश्य देनी चाहिए, ताकि कार्य सम्पन्न होने में कोई बाधा/अड़चन न आये। सही–सही जोड़े बनने के लिए समय पर समिति को सूचना पहुंचना अनिवार्य शर्त है।
10. अन्य प्रतिबद्धताओं एवं आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण जैसे–
    - (क) यदि योगी/योगिनी पूर्व में एक ही केन्द्र के सदस्य रहे हों और अगर वो जोड़े हेतु अपनी असहमति व्यक्त करते हों, तो उन्हें सूचित करना चाहिए।
    - (ख) पूर्व के आवेदन पत्रों के विवरण साझा किये जायें ताकि ऐसे जोड़े दुबारा न बनें, जिन्होंने पूर्व में असहमति व्यक्त की है।
    - (ग) यदि किसी योगी/योगिनी की विवाह सम्बन्धी कोई विशेष आवश्यकता/पसन्द हो तो वे उसे स्पष्ट कर सकते हैं।

(घ) कोई अन्य परिस्थितिजन्य कारण/आवश्यकतायें।

पुनर्विवाह तथा पूर्व में बने जोड़े–

पुनर्विवाह केवल वही जोड़े कर सकते हैं, जिनका विवाह सहजयोग के बाहर हुआ है, या जिन जोड़ों का मिलान पूर्व के किसी समारोह में हो चुका हो, परन्तु किसी वैध कारण से सम्पन्न न हो सका हो। दूसरे प्रकरण में आवेदक जोड़े को विवाह समिति द्वारा भेजे गये ई–मेल का प्रिन्ट आउट साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करना होगा। समिति के अभिलेखों द्वारा यह मिलान सत्यापित किया जायेगा।

जोड़ों का मिलान एवं विवाह शिष्टाचार–

सहज विवाह समिति, आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के पश्चात् अपना कार्य शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया में विवाह समिति को कई बार बैठना पड़ता है तथा स्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों के पंजीकरण का कार्य करना पड़ता है। श्री माताजी के बताये गये सिद्धान्तों, शिष्टाचार एवं मार्गदर्शन में समर्पण के साथ, उसी प्रकार से जोड़े मिलाये जाते हैं, जिस प्रकार श्री माताजी वर्षों तक गणपतिपूले में किया करती थीं।

दिये गये निर्देश व्यवहारिक है, क्योंकि सामान्य तौर पर योगी, योगिनियों से लम्बे और उम्र में बड़े होते हैं। उपयुक्तता एवं समान रूचि को भी ध्यान में रखा जाता है। शैक्षिक योग्यता तथा एक दूसरे के लिए पूरक होने के गुण भी देखे जाते हैं। स्वेच्छा से देश परिवर्तन की इच्छा/अनिच्छा एवं सहजयोग के प्रति समर्पण को मद्देनजर रखा जाता है। एक ही केन्द्र या नगर के सहजयोगियों के जोड़े नहीं बनाये जाते हैं। प्रारम्भिक शिष्टाचार से बने जोड़ों को चैतन्य के आधार पर देखा जाता है और यह निश्चित किया जाता है कि यह माँ की इच्छा के अनुसार शुभ है या नहीं। सामान्य तौर पर जोड़ों का चैतन्य देखा जाता है और विशेष परिस्थिति में व्यक्ति विशेष का भी देखा जाता है।

विवाह समिति के सदस्य चैतन्य देखने में दक्ष होते हैं। उनके भीतर आध्यात्मिक क्षमता, संवेदनशीलता, अनुभव एवं बुद्धिमत्ता आदि गुण होते हैं। चैतन्य प्राप्त करने के पश्चात् भी कई बार समीक्षा की जाती है। यदि प्रारम्भिक मिलान में जोड़े नहीं बन पाते हैं, तब नये जोड़े की सम्भावना को तलाशा जाता है। कभी–कभी जोड़े नहीं भी बनते हैं। जब विवाह समिति के सभी सदस्यों का चैतन्य काफी ठण्डा आता है, तब सर्वसम्मति से वह जोड़ी तय हो जाती है तथा उस जोड़ी को श्री माताजी के पावन श्री चरण कमलों में रख दिया जाता है। सेमिनार से पूर्व ई–मेल द्वारा आवेदकों को जोड़े के मिलान के विषय में सूचित कर दिया जाता है परन्तु जोड़े के विवरण को गोपनीय रखा जाता है। यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है, ताकि औपचारिक उद्घोषणा के समय कार्यक्रम स्थल पर वे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। जोड़ों की सामूहिक उद्घोषणा सेमिनार के दरम्यान की जाती है। जोड़ों को उद्घोषणा के पश्चात् उपलब्ध समय में, आपसी बातचीत कर, विवाह समिति को अपने निर्णय से अवगत कराना चाहिए। किसी भी उद्घोषित जोड़े को जबरन विवाह के लिये प्रेरित नहीं किया जा सकता। सभी सहज जोड़ों को यह जानकारी होनी चाहिये, कि सहज विवाह एक बहुत ही मजबूत एवं सूक्ष्म प्रक्रिया है, जिसमें जोड़ों को अपनी सूझ–बूझ और परिवक्वता का परिचय देना चाहिये।

यदि किसी वैध कारणवश जोड़ों को सहज विवाह से असहमति है तो वे दोनों एक साथ भारतीय सहज विवाह समिति के समक्ष अपनी बात रखेंगे और उसका कारण बतायेंगे। उपस्थित रहने पर डेस्क पर और अनुपस्थित रहने पर ई–मेल द्वारा असहमति का कारण बताना पड़ेगा। सहज विवाह समिति एवं हस्ताक्षर करने वाले समन्वयक, आवेदकों से असहमति का कारण पूछेंगे। ताकि, सहज विवाह की गरिमा और सम्मान तथा मना किये गये जोड़े का भी सम्मान सुरक्षित रहे। स्वजनों–परिजनों द्वारा दी गई असहमति स्वीकार नहीं की जायेगी। अस्वीकृत आवेदक, जो व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं, उनके आवेदन पर समय और स्थिति के अनुसार अगले जोड़े के मिलान से लिये विचार किया जायेगा। अनुपस्थित रहने वाले जोड़े उद्घोषणा की तिथि से दो माह के अन्दर भारतीय सहज विवाह समिति को अपने मंतव्य से अवगत करा दें, कि वे विवाह के लिए सहमत हैं या नहीं। पुनः असहमत होने की स्थिति

में आवेदक से वास्तविक/यथार्थ/वैध कारण पूछा जायेगा।

यदि जोड़े विवाह हेतु सहमत हैं तो वे पूजा स्थल पर रजिस्ट्रेशन कराकर, विवाहोत्सव हेतु सम्पूर्ण सामग्री, वर और वधू हेतु ले सकते हैं। कृपया नोट कर लें कि वर के लिये कुर्ता–पाजामा तथा वधू के लिए साड़ी/ब्लाउज/गहने इत्यादि की व्यवस्था आवेदकों को स्वयं अपनी रूचि एवं नाप के अनुसार करनी होगी। उन्होंने स्वतन्त्र रूप से एवं स्वेच्छा से इसे (विवाह को) स्वीकार किया है, इस आशय की घोषणा पर उन्हें हस्ताक्षर करना होगा। विवाह के खर्च का अनुमान सामान्यतः पूजा स्थल पर आयोजन से लगभग एक सप्ताह पूर्व लगाया जाता है क्योंकि इस खर्च की राशि विवाह में प्रयुक्त होने वाली/लगने वाली चीजों की कीमत पर आधारित है।

निर्णायक/समापक टिप्पणी–

सहज विवाह आदि शक्ति श्री माताजी निर्मला देवी के नाम से सम्पन्न किया जाता है। दम्पत्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि श्री माताजी के साकार या निराकार रूप के समक्ष सम्पन्न हुये इस विवाह को आजीवन प्रसन्नतापूर्वक निभायें। सफल सहज विवाह व्यक्ति, परिवार एवं समूह के आध्यात्मिक उत्थान को तथा प्रसन्नता एवं सौभाग्य को प्रसारित करता है। अबोधिता, परोपकारिता, प्रेम, प्रसन्नता, माधुर्य, उदारता एवं अन्यों के प्रति लगाव/स्नेह जैसे सूक्ष्म गुणों को व्यक्त करने वाला सहज विवाह श्री माताजी के दर्शन को विश्व में स्थापित करने में अहम् भूमिका निभायेगा। प्रेम एवं उत्थान का एक सामूहिक आध्यात्मिक पथ प्रशस्त करते हुये ये सहज विवाह सभी सम्मिलित जनों के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम का संचार करने के शुभ माध्यम बन सकते हैं। हमारी पवन पावनी श्री माताजी की शिक्षा के अनुरूप दोनों पति–पत्नी को जीवन पर्यन्त परिवर्तन, प्रेम, विकास, साझेदारी, समझदारी, अवलम्बन, चुनौतियों, आशीर्वाद एवं संतुष्टि के मार्ग पर चलने के लिये उद्यत होना चाहिये।

विवाह समिति का यह प्रयास रहता है कि वह उपने दायित्वों का निर्वहन श्री माताजी के उपकरण के रूप में करें ताकि श्री माताजी का आशीर्वाद हमारे सहज संस्कृति के इस अति महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति में संचारित हो सके।

गणपतिपूले, महाराष्ट्र में सम्पन्न विवाहों का पंजीकरण–

वर्तमान में महाराष्ट्र, भारत में विवाह का पंजीकरण महाराष्ट्र रेग्यूलेशन ऑफ मैरिज ब्यूरोज एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरेजेज एक्ट 1998 की धाराओं के अनुसार होता है। यह एक्ट 15 अप्रैल 1999 से लागू हुआ है।

पूर्व में विवाहों के पंजीकरण की प्रक्रिया द बाम्बे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरेजेज एक्ट 1953 की धाराओं के अन्तर्गत हुआ करता था। इस एक्ट में विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफिस में होता था और रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में विवाह को सम्पन्न किया जाता था। बाद में इस धारा का दुरूपयोग होने लगा और लोग इस धारा का अनुचित लाभ लेते हुये अपने विवाह को अन्यत्र पंजीकृत करने लगे। अतएव माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 1998 के इस नये कानून को बनाया गया।

इस नये कानून के सेक्शन 6 की धाराओं के अनुसार, जिसके अन्तर्गत हम अधिशासित हैं, विवाह के पंजीकरण की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार को दे दी गई है, जिसके अधिकार क्षेत्र में सामान्यतः पति निवास करता है या पति–पत्नी में से कोई एक निवास करता है (यहां सामान्यतः का मतलब स्थायी से है, जिसके प्रमाण स्वरूप पक्ष के पास साक्ष्य के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स इत्यादि प्रपत्र होने चाहिए)।

यद्यपि सहज विवाह, गणपतिपूले (जिला रत्नागिरी) महाराष्ट्र में सम्पन्न किये जाते हैं, तथापि वर–वधू भारत के विभिन्न भागों या विभिन्न देशों से आते हैं। आमतौर पर वे रत्नागिरी जिले के स्थायी निवासी नहीं होते, अतः रत्नागिरी के विवाह रजिस्ट्रार, गणपतिपूले में सम्पन्न सहज विवाहों को पंजीकृत नहीं कर सकते। सिर्फ यदि वर या वधू (जिनका विवाह गणपतिपूले में सम्पन्न हुआ हो) रत्नागिरी जिले के हैं, तभी वे अपने विवाह का पंजीकरण सम्बन्धित साक्ष्यों के आधार पर मैरेज रजिस्ट्रार रत्नागिरी के कार्यालय में करा सकते हैं।

इस कानूनी स्थिति के कारण, गणपतिपूले में सम्पन्न सहज विवाहों को पंजीकृत कराना आयोजकों के लिये सम्भव नहीं है। वे सम्पन्न विवाह सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी निर्गत नहीं कर पायेंगे। अतः यह दृढ़ संस्तुति की जाती है कि सम्बन्धित पक्ष या उनके माता–पिता/केन्द्र समन्वयक, विवाह का पंजीकरण, पंजीकरण कार्यालय (सम्बन्धित कार्यक्षेत्र) में निर्धारित प्रपत्र जमा करके करा लें। विवाह का पंजीकरण एक अत्यन्त साधारण न्यायिक प्रक्रिया है। बाद में रिकार्ड हेतु पंजीकरण प्रपत्र की एक प्रति विवाह समिति को प्रेषित की जा सकती है।

आवेदकों के लिये महत्वपूर्ण निर्देश–

1. सहज सिद्धान्त एवं शिष्टाचार को अच्छी तरह से पढ़ लें।
2. ध्यान, अन्तःनिरीक्षण एवं सहज विधियों द्वारा अपनी स्थिति को विवाह हेतु तैयार करें। सहज विवाह हेतु आवेदन देने से पूर्व सहज विवाह से सम्बद्ध श्री माताजी के प्रवचन विडियो,, देखें तथा सामूहिकता के वरिष्ठ विवाहित सहज योगियों से संवाद करें।
3. वर्तमान वर्ष हेतु लागू आवेदन पत्र ही भरें।
4. उम्र, शिक्षा तथा आय सम्बन्धी प्रपत्र प्रिंट निकाल कर स्वहस्ताक्षरित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
5. आवेदकों को एक अतिरिक्त घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर करने होंगे (भारतीयों के लिए यह 100 रुपये के गैर विधिक स्टैम्प पेपर पर होगा। भारत से बाहर के आवेदक सादे कागज पर कर सकते हैं) ताकि यह पता चले कि खुले तौर पर स्वतन्त्र रूप से सहमति दी गई है।
6. स्थानीय/क्षेत्रीय/केन्द्र समन्वयक या राष्ट्रीय समन्वयक के साथ विवाह आवेदन पत्र के साथ एक संक्षिप्त साक्षात्कार, जैसा कि आपकी स्थानीय समिति/समन्वयक ने सुझाया हो। आपके समन्वयक वांछित दस्तावेजों/प्रपत्रों के साथ आपके आवेदन पत्र को विवाह समिति के पास भेजेंगे, आपको इस सम्बन्ध में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।
7. सहज शिष्टाचार के अनुसार अर्हता रखने वाले सहजयोगी/योगिनी सहज विवाह हेतु पूर्ण (पूरी तरह भरा हुआ) आवेदन पत्र उचित माध्यम के द्वारा (समन्वयक द्वारा) 24 नवम्बर 2018 तक निम्न पते पर अवश्य भेज देवें :–

   The Life Elernal Trust, Mumbai. Unit No. 1111, 11thFloor,
   Hubtown Solaris, N S Phadke Marg, Andheri (East), Mumbai 400069
   सम्पर्क सूत्र– +912226843169, +917738111185

   पुनः वर्तमान आवेदन की स्कैन्ड प्रति रंगीन फोटोग्राफ के साथ नियत समय तक इस ई–मेल पते पर भेज दें। sahajamarriages@sahajayogamumbai.org.
   www.sahajayogamumbai.org. वेबसाईड से विवाह आवेदन पत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं।
8. विवाह हेतु चयनित एवं इच्छुक योगी/योगिनी को पंजीकरण शुल्क रु0 21,000/– प्रति जोड़ा (यानि 10,500/–प्रति योगी) देना पड़ेगा। पुनर्विवाह के इच्छुक दम्पत्तियों के लिये भी यही राशि निर्धारित है। जिस समय जोड़े विवाह के पंजीकरण हेतु निर्मल नगरी गणपतिपूले में विवाह समिति के समक्ष उपस्थित होते हैं, उसी समय यह राशि अवश्य जमा कर दी जानी चाहिये।

विशेष टिप्पणी :–

कई बार ऐसा देखा गया है कि गोपनीय आख्या आवेदक/आवेदिका द्वारा ही भर दी जाती है तथा समन्वयक

उस पर हस्ताक्षर मात्र कर देते हैं। कृपया याद रखें कि, यह गोपनीय आख्या समन्वयक द्वारा भरी जानी है, न कि आवेदक द्वारा। वस्तुतः समन्वयक को यह फार्म, आवेदक को देना ही नहीं चाहिये। यदि समन्वयक आवेदक के विषय में ठीक से नहीं जानते तो उन्हें नगर/राज्य/राष्ट्रीय समन्वयक से आवेदक के विवरण को सत्यापित करने हेतु कहना चाहिये। उसके पश्चात् ही अपनी गोपनीय आख्या के साथ हस्ताक्षर करना चाहिये।

नोट :–

सहज विवाह हेतु मिलाये गये जोड़ों की उद्घोषणा 23 दिसम्बर 2018 की दोपहर में निर्मल नगरी, गणपतिपूले, महाराष्ट्र में की जायेगी।

————

सहज विवाह

राष्ट्रीय एवं स्थानीय समन्वयकों/हस्ताक्षरकर्ताओं हेतु सूचनायें

सामान्य सूचना :–

सहज विवाह परम पूजनीय श्री माताजी द्वारा बताये गये दैवी सिद्धान्तों पर आधारित है, जिसका गहन प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ता है, इसीलिये सदैव विशेष ध्यान एवं सावधानी बरतनी चाहिये।

समन्वयकों, परिषद्–सदस्यों एवं स्थानीय प्रतिनिधियों को, जिन्हें आवेदकों का आवेदन पत्र अग्रसारित करना हो, सहज विवाह की समस्त औपचारिकताओं एवं शिष्टाचार की जानकारी होनी चाहिये। यह जानकारी अलग दस्तावेज में दी गई है।

ऐसे संस्कारों/रस्मों की उद्घोषणा के समय सभी राष्ट्रीय एवं स्थानीय समन्वयकों के पास, अद्यतन/नवीनीकृत प्रपत्र, रिक्त आवेदन पत्रों सहित भिजवाये जाते हैं।

आवेदन पत्रों का वितरण :–

सभी समन्वयकों के पास साल में एक बार आवेदन पत्र भेजा जाता है। सभी आवश्यक सूचनायें एवं आवेदन पत्र हमारे वेबसाईट www.sahajayogamumbai.org. पर भी उपलब्ध कराये जाते हैं। सभी समन्वयकों से अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे इस बात की पुष्टि और तसल्ली कर लें कि सभी केन्द्रों में उद्घोषणा हो गई है तथा सभी इच्छुक अभ्यर्थियों ने समय से नवीनतम/अद्यतन आवेदन पत्र पा लिया है।

आवेदनकर्ताओं के साथ संवाद :–

समन्वयकों का यह महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है कि वे प्रत्येक अभ्यर्थी को सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करें एवं उनमें इस तरह की समझदारी विकसित करें, कि वे सहज विवाह एवं मर्यादाओं को, अपनी अन्तर्आत्मा से, अपना जीवन समर्पित कर सहज रूप से स्वीकार करें।

समन्वयक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदक ने सहजयोग में कम से कम दो वर्षों तक अभ्यास किया हो तथा उन्होंने नियमित रूप से केन्द्र में उपस्थित होकर अपना पूरा योगदान देते रहे हों तथा उनमें परिवक्वता एवं सहज के प्रति पूर्ण समर्पण हो।

आम तौर पर यह देखा गया है कि जब जोड़ियों की उद्घोषणा होती है, तब बहुत ही तुच्छ आधार पर कुछेक आवेदक उद्घोषित जोड़े को अस्वीकार कर देते हैं, जैसे कि माता–पिता सहज में नहीं हैं या कुण्डली आदि न मिलने के कारण, जबकि वे यह भी स्वीकार करते हैं कि चैतन्य अच्छा है।

समन्वयक संवाद के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि श्री माताजी द्वारा दिये गये मार्गदर्शन एवं दैवी चैतन्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी न कि सांसारिक सोच एवं रीतियों को।

आवेदन पत्र का भरा एवं जाँच किया जाना :–

राष्ट्रीय/नगर/केन्द्र समन्वयकों को आवेदक द्वारा भरे गये आवेदन पत्रों की गहनता से जांच करनी है। उन्हें आवेदन पत्रों में भरे गये विवरण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लेना होगा। साथ ही प्रत्येक आवेदन की प्रविष्टियों को सत्यापित कर उसकी गोपनीय आख्या भी भरनी होगी।

समन्वयक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक ने स्पष्ट रूप से प्रविष्टि भरी हो, विशेष रूप से जहाँ हाँ/ना का विकल्प हो। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आवेदकों की प्रविष्टियाँ पुरानी न हों, उनका सम्पर्क नम्बर तथा ई–मेल आई डी सही हों, तथा उनका नवीतम रंगीन फोटो संलग्न हो।

समन्वयको को कुछ बातों पर विशेष बल देना होगा जैसे– यदि आवेदक सहज में स्थापित न हुआ हो, या

स्वास्थ्य या आमदनी सम्बन्धी समस्याओं को उजागर न किया गया हो, या कोई विशेष व्यक्तिगत समस्या जैसे तलाक सम्बन्धी समस्या हो। किसी केन्द्र विशेष से सम्बद्ध योगी–योगिनी के नये होने की स्थिति में समन्वयकों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके पूर्व के केन्द्र समन्वयकों से जानकारी प्राप्त करें।

सहजयोग के एक कर्तव्यनिष्ठ योगी होने के नाते समन्वयक की यह जिम्मेदारी है कि आवेदक के विषय में सच्ची–निष्पक्ष राय/आंक के साथ हस्ताक्षर कर आवेदन पत्र को अग्रसारित करें।

अधूरे/हस्ताक्षरविहीन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्र जिन पर आवेदक या समन्वयक का हस्ताक्षर न हो, समय शेष रहने पर पूरा करने का अवसर दिया जायेगा।

नोट :– विवाह आवेदन पत्र की संस्तुति केन्द्र समन्वयक/क्षेत्र समन्वयक/नगर समन्वयक/राज्य समन्वयक या राष्ट्रीय समन्वयक द्वारा ही की जा सकेगी।

समन्वयक गोपनीय प्रपत्र, उत्तरदायी समन्वयक द्वारा आवेदक की वांछित सूचनाओं के साथ हस्ताक्षरित कर आगे बढ़ाया जायेगा। यह प्रपत्र किसी दूसरे समन्वयक (नगर/क्षेत्र/राज्य एवं राष्ट्र) द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। विदेशी अभ्यर्थियों के प्रपत्र राष्ट्रीय समन्वयकों द्वारा संस्तुत किये जाने चाहिये। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित होने पर आवेदक सहज विवाह समिति के सदस्यों से सम्पर्क कर सकता है। sahajamarriages@sahajayogamumbai.org. ताकि उसे आवेदन को अग्रसारित करने में सक्षम समन्वयकों की सूची प्राप्त हो सके।

समिति के पास भेजा जाना :–

विवाह समिति द्वारा निर्धारितसमय सीमा तक या उसके भीतर, समन्वयक निश्चित रूप से आवेदन पत्रों को sahajamarriages@sahajayogamumbai.org पर ई–मेल कर देंगे। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र विवाह समिति के सदस्यों के व्यक्तिगत पते पर नहीं भेजे जायेंगे। आवेदन पत्र जमा करके भेजने का कार्य समन्वयकों द्वारा किया जायेगा न कि व्यक्तिगत रूप से आवेदकों द्वारा।

The Life Elernal Trust, Mumbai. Unit No. 1111, 11thFloor,
Hubtown Solaris, N S Phadke Marg, Andheri (East), Mumbai 400069
Contact No. +912226843169, +917738111185

कार्यस्थल पर पहुंचने पर :–

सभी आवेदकोंसे अनुरोध है कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात् वे सहज विवाह समिति के सदस्यों से सम्पर्क करें।

संस्कार से पूर्व :–

मिलाये गये जोड़ों को ससमय वीजा के लिये आवेदन देकर निश्चित समय पर कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होना चाहिये। पूर्व में मिलाये गये जोड़ों को अपनी स्वीकृति की सूचना, ई–मेल द्वारा सहज विवाह समिति को पूर्व में ही भेजनी होगी ताकि आयोजक/सदस्यगण समुचित व्यवस्था करने में सक्षम हो सकें। सहज विवाह समिति अभ्यर्थियों द्वारा दी गई सूचनाओं को पूर्णतः गोपनीय रखेगी। इस कार्य से सम्बन्धित सभी समन्वयक, सभी सूचनाओं की अपने–अपने देशों में पूर्णतः गोपनीय रखेंगे।

संस्कार के पश्चात् :–

विवाहित जोड़ों से अनुरोध किया जाता है कि वे जिन स्थानों में रहना चाहते हैं, उनकी कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप अपने विवाह को नियत समय के अन्दर पंजीकृत करा लें। श्री माताजी के मार्गदर्शन में अखण्ड विश्वास रखकर उन्हें सहज शिष्टाचार का अनुपालन करना होगा।

पति या पत्नी द्वारा किया गया किसी भी तरह का अशिष्ट व्यवहार, विवाह समिति को सूचित किया जायेगा और उसे स्थानीय एवं राष्ट्रीय समन्वयकों को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा।

सहज विवाह से सम्बन्धित सूचनाओं हेतु या जोड़ों के मिलान सम्बन्धित जानकारी हेतु निम्न पते पर सम्पर्क करें।

sahajamarriages@sahajayogamumbai.org.

———